भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2024

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में एसबीएम-जी की स्थिति

†2024. श्री अ.मनिः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के कार्यान्वयन की शुरुआत से अब तक की स्थिति क्या है;

(ख) तमिलनाडु, विशेष रूप से धर्मपुरी जिले में एसबीएम-जी के अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) की संख्या कितनी है और अब तक कितने लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए हैं;

(ग) एसबीएम-जी के अंतर्गत तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और कितनी ग्राम पंचायतों में ये परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं;

(घ) क्या तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो लंबित क्षेत्रों के विशिष्ट कारण क्या हैं और पूर्ण ओडीएफ दर्जा प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) एसबीएम-जी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु में ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच सामुदायिक सहभागिता, जागरूकता पैदा करने और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-I खुले में शौच को समाप्त करने के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने तथा व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तमिलनाडु की सभी ग्राम पंचायतों ने 2 अक्टूबर 2019 को स्वयं को 'खुले में शौच मुक्त' (ओडीएफ) घोषित किया। एसबीएम-जी चरण-II को 2020-21 से 2025-26 तक मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। एसबीएम-जी चरण-II का मुख्य उद्देश्य गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना है ताकि गांवों को ओडीएफ प्लस बनाया जा सके। अब तक, तमिलनाडु में 10,857 गांवों को ओडीएफ मॉडल गांवों के रूप में घोषित किया गया है।

(ख) एसबीएम-जी के तहत तमिलनाडु में अब तक 60,29,685 आईएचएचएल का निर्माण किया गया है जिसमें धर्मपुरी जिले में 2,40,751 आईएचएचएल शामिल हैं।

(ग) एसबीएम-जी के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) में गांवों को कृषि और पशु अपशिष्ट सहित जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत और सामुदायिक खाद गड्ढे उपलब्ध कराना तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए पर्याप्त पृथक्करण और संग्रहण प्रणाली प्रदान करना शामिल है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) में गांवों को रसोई के उपयोग और स्नान से उत्पन्न गंदे पानी तथा बरसाती पानी के लिए व्यक्तिगत/सामुदायिक सोख्ता गड्ढे प्रदान करना शामिल है। सेप्टिक टैंकों के अतिप्रवाह से निकलने वाले किसी भी प्रकार के काले पानी के लिए, आवश्यकता अनुसार, उपयुक्त शोधन प्रणालियों का प्रावधान भी किया जा सकता है। एसबीएम-जी आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, तमिलनाडु में 11,579 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है और 10,961 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है। अब तक, तमिलनाडु में 10,857 गांवों को ओडीएफ मॉडल गांवों के रूप में घोषित किया गया है।

(घ) तमिलनाडु की सभी ग्राम पंचायतों ने 2 अक्टूबर 2019 को स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया है।

(ङ) एसबीएम-जी के विभिन्न हितधारकों का क्षमता निर्माण ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए ठोस तथा तरल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के जिला समन्वयकों, ब्लॉक समन्वयकों, डीपीएमयू टीम, सहायक परियोजना अधिकारियों, सहायक अभियंताओं, सहायक कार्यकारी अभियंताओं, अधिशासी अभियंताओं और अपर कलेक्टर (विकास)/परियोजना निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण स्तर के हितधारकों के लिए आरआईआरडी में क्षेत्रीय स्तर के प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत अध्यक्षों को ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, दोहरे गड्ढे वाले शौचालय के महत्व, काले पानी के शोधन के लिए शहरी एसटीपी के साथ सामंजस्य, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन आदि विषयों पर स्वच्छता प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

*****